# फर्द अहकाम

कलावती बनाम नाथू वगैरह

ालय उपखण्ड अधिकारी जमवा रामगढ़

ा 108/2018

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|
| 7/5/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से संबंधित मूल वाद पत्र कि धा. पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार कर मूल वाद को खारिज किया जाता है। अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इसे इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।<br>निर्णय आज ही इजलास में सुनाया गया।<br>पत्रावली कोर्ट लम्बित होकर नायब तहसीलदार के समक्ष होने तक बाद मूलि दाखिल दफ्तर है।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवा रामगढ़ |